न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– नीलम लखारा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:– 82 / 2019 (2019 / 00117)

तारीख दायरा–01.10.2019

तारीख निर्णय–03.02.2021

उनवान

1. श्री लेहरीलाल पिता नवलराम नागदा उम्र वयस्क निवासी ब्राहम्णों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा ।

........प्रार्थी

बनाम

1. श्री पन्नालाल पिता नवलराम नागदा उम्र वयस्क निवासी ब्राहम्णों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा ।
2. श्रमती धन्नीबाई बेवा एकलिंग नागदा उम्र वयस्क निवासी ब्राहम्णों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा ।
3. श्री उदयराम पिता लच्छा नागदा उम्र वयस्क निवासी ब्राहम्णों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा ।
4. श्री धुलीराम पिता भेरूलाल नागदा उम्र वयस्क निवासी ब्राहम्णों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा ।
5. श्री भागीरथ पिता भेरूलाल नागदा उम्र वयस्क निवासी ब्राहम्णों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा ।
6. श्री रमेश पिता भेरूलाल नागदा उम्र वयस्क निवासी ब्राहम्णों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा ।
7. श्री दुर्गाशंकर पिता भेरूलाल नागदा उम्र वयस्क निवासी ब्राहम्णों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा ।
8. श्रीमती तुलसी बाई बेवा भेरूलाल नागदा उम्र वयस्क निवासी ब्राहम्णों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा ।
9. श्रीमती नानीबाई पत्नी मांगीलाल नागदा पुत्री हीरालाल उम्र वयस्क निवासी ब्राहम्णों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा ।
10. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए आर.टी. एक्ट

उपस्थित– प्रार्थी की ओर से– श्री दुर्गाशंकर पालीवाल

अप्रार्थी की ओर से– श्री शिवशंकर जोशी

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:20:03 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजी भूमि राजस्व ग्राम ब्राहम्णों का कलवाणा पटवार हल्का ब्राहम्णों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा कि जमाबन्दी संवत् 2071 से 74 के खाता संख्या 156 में वर्णित कुल आराजीयात किता 14 रकबा 0.9900 एवं खाता संख्या 158 में वर्णित कुल आराजीयात

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला–उदयपुर (राज.)

किता 3 रकबा 0.1150 है0 भूमी स्थित है। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैतृक मौरूसी जायदाद है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता श्री नवलराम पिता केशा थे जिनके फौत होने से वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 श्री पन्नालाल एवं प्रवितादी संख्या 2 श्रम्मती धन्नीबाई के पति श्री एकलींग जी के नाम पर दर्ज हो गई, जबकि वादी श्री लेहरीलाल भी नवलराम के पुत्र होने के नाते से वादग्रस्त भूमि में वारीसान है जिसे वादग्रस्त भुमि में अपने हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित करावें। जब पक्षकारान के पिता का नामान्तकरण खुलवाया गया तब सेहवन से राजस्व कार्मिको की गलती से वादी का नाम खाते में दर्ज नहीं हुआ। अतः वादी वादग्रस्त आराजीयात के 1/3 हिस्से पर काबित काश्त है, जिसे वादग्रस्त भूमि में मौरूषी सम्पत्ति होने से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित कराने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थीण संख्या 3, 4 एवं 8 की तरफ से अधिवक्ता श्री शिवशंकर जोशी का वकालत नामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 से 2, 5 से 7 एवं प्रतिवादी संख्या 9 बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ओदश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश कर निवेदन किया की वादी ने आज से करीब 17 वर्ष पुर्व दिनांक 14.02.2003 को प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 के पति श्री एकलींग पिता नवलराम के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग का दस्तावेज रजिस्टार कार्यालय गोगुन्दा में निष्पादित कर दिया और तब से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। वादी ने स्वंय को नवलराम की तीसरी सन्तान बता कर राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करने हेतु धोषणा का वादी प्रस्तुत किया है जो विधि विरूद्व होकर खारिज योग्य है। वादी स्वयं द्वारा प्रतिवादी संख्या एक व दो के पति के पक्ष में रजिस्टर्ड हक त्याग का दस्तावेज निष्पादित कर न्यायालय में झूठे तथ्य के आधार पर धोषणा का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया है जो वर्जित होकर खारिज होने योग्य है जिसे खारिज फरमाया जावें। तत्पश्चात प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। उभय पक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी गई।

हमनें उभय पक्ष की बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो को ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। मौजा ब्राहम्णों का कलवाणा पटवार हल्का ब्राहम्णों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा कि जमाबन्दी संवत् 2071 से 74 के खाता संख्या 156 में वर्णित कुल आराजीयात किता 14 रकबा 0.9900 एवं खाता संख्या 158 में वर्णित कुल आराजीयात कित[illegible] 0.1150 [illegible] स्थित है। उक्त वाग्रस्त भूमि पुर्व में श्री नवलराम पिता किशना ब्राहम्ण के नाम द[illegible] के तीन पुत्र क्रमश एकलींग, पन्नालाल एवं लेहरीलाल है परन्तु दिनांक 14.02.2003 [illegible] वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग प्रतिवादी संख्या एक व दो के पति के नाम कर[illegible] वादी का अब वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं रह जाता है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेज के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:20:03 IST
Reason: SelfAttested

Neelam
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

वादी का वाद सावित नही पाये जाने से एवं प्रार्थना पत्र ओदश 07 नियम 11 सावित पाये जाने से वादी का वाद खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सावित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा व्राहम्णों का कलवाणा पटवार हल्का व्राहम्णों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा कि जमावन्दी संवत् 2071 से 74 के खाता संख्या 156 में वर्णित कुल आराजीयात किता 14 रकवा 0.9900 एवं खाता संख्या 158 में वर्णित कुल आराजीयात किता 3 रकवा 0.1150 है0 भूमि पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। एतद्नुसार डिक्री जारी की जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Neelam

(नीलम लखारा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, उदयपुर
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:20:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

वाद डिक्री

पीठासीन अधिकारीः– नीलम लखारा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 82/2019 (2019/00117) दिनांकः–03.02.2021

उनवान

1. श्री लेहरीलाल पिता नवलराम नागदा उम्र वयस्क निवासी ब्राहम्णों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा ।

........प्रार्थी

बनाम

1. श्री पन्नालाल पिता नवलराम नागदा उम्र वयस्क निवासी ब्राहम्णों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा ।
2. श्रमती धन्नीबाई बेवा एकलिंग नागदा उम्र वयस्क निवासी ब्राहम्णों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा ।
3. श्री उदयराम पिता लच्छा नागदा उम्र वयस्क निवासी ब्राहम्णों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा ।
4. श्री धुलीराम पिता भेरूलाल नागदा उम्र वयस्क निवासी ब्राहम्णों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा ।
5. श्री भागीरथ पिता भेरूलाल नागदा उम्र वयस्क निवासी ब्राहम्णों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा ।
6. श्री रमेश पिता भेरूलाल नागदा उम्र वयस्क निवासी ब्राहम्णों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा ।
7. श्री दुर्गाशंकर पिता भेरूलाल नागदा उम्र वयस्क निवासी ब्राहम्णों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा ।
8. श्रीमती तुलसी बाई बेवा भेरूलाल नागदा उम्र वयस्क निवासी ब्राहम्णों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा ।
9. श्रीमती नानीबाई पत्नी मांगीलाल नागदा पुत्री हीरालाल उम्र वयस्क निवासी ब्राहम्णों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा ।
10. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए आर.टी. एक्ट

उपस्थित– प्रार्थी की ओर से– श्री दुर्गाशंकर पालीवाल

अप्रार्थी की ओर से– श्री शिवशंकर जोशी

Signature Not Verified

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज [illegible] 3.02.2021 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिक्री [illegible] का कलवाणा पटवार हल्का ब्राहम्णों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा कि जमाबन्दी संवत् 2071 से 74 के खाता संख्या 156 में वर्णित कुल आराजीयात किता 14 रकबा [illegible]00 एवं खाता संख्या 158 में वर्णित कुल आराजीयात किता 3 रकबा 0.1150 है0 भूमि पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।

Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:20:03 IST
Reason: SelfAttested

(नीलम लखारा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला–उदयपुर (राज.)